प्रधान महालेखाकार (ले0&ह0) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Letter No.-WM-III/2025-26/ 849
Date 18 /03/2026

कार्यालय आदेश

विषय: अचल संपत्ति संबंधी लेन-देन की सूचना – CCS (Conduct) Rules, 1964 के नियम 18 के अनुपालन के संबंध में।

प्रमंडलीय लेखाकार संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति विवरणियों (Annual IPRs) की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि विवरणियों में अंकित अचल संपत्ति के क्रय/अर्जन संबंधी प्रविष्टियाँ, संबंधित लेन-देन के लिए नियम 18(2), CCS (Conduct) Rules, 1964 के अंतर्गत दी गई पूर्व सूचनाओं/अनुमतियों से मेल नहीं खाती हैं। अनेक मामलों में या तो अपेक्षित पूर्व सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है अथवा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण/सही रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के OM दिनांक 17 दिसंबर, 2018 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक सरकारी सेवक को अपने अथवा अपने परिवार के सदस्य के नाम से अचल संपत्ति के किसी भी लेन-देन से पूर्व Competent Authority को सूचना देना अनिवार्य है तथा निर्धारित प्रपत्र में सभी विवरण, विशेषकर वित्तीय स्रोत, स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अपेक्षित है।

उक्त प्रकार की त्रुटियों/अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि यह CCS (Conduct) Rules, 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अचल संपत्ति के किसी भी लेन-देन के संबंध में CCS (Conduct) Rules, 1964 के नियम 18 तथा DoPT के प्रचलित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण (विशेषकर वित्तीय स्रोत सहित) समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें।

इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Digitally signed by
DEVENDRA PRATAP SRIVASTAVA
Date: 17-03-2026 17:31:05

उप महालेखाकार (कार्य)

सूचनार्थ:

Copy for information:

1. The Secretary to the P.A. G. (A&E), Bihar, Patna.
2. PA to the Sr. Dy. A. G. (Admn.), O/o the P.A.G. (A&E), Bihar, Patna.
3. PA to the Dy. A. G. (Works), O/o the P.A.G. (A&E), Bihar, Patna.
4. AAO/ITS with a request to upload this office order on official website under DA/DAO Tab.
5. Notice Board.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (WM-III)

Phone: 0612-2225634 Fax: 0612-2221056 Email: agaebihar@cag.gov.in